भाग चार : खण् ड एक

1मध् य ूदेश, आिदम जनजाितयों का संरक्षण (वृक्षों में िहत) अिधनियम 1999

(िदनांक 21 अूैल, 1999 को राज् यपाल की अनुमित ूाप् त हुई, अनुमित "मध् यूदेश राजपऽ असाधारण"में िदनांक 24 अूैल, 1999 को ूथम बार ूकािशत की गई।

आिदम जनजाितयों को शोषण से बचाने की ट्िष्ट से, उसके खातों पर खड़े हुए वृक्षों में उनके िहतों कासंरक्षण करने से संबंिधत िविध को समेिकत तथा संशोिधत करने और अन् य िविधयों तथा क्षेऽ में की पिरवितर्तपिरिःथितयों में सामन् जः य ः थािपत करने के िलए िविध बनाने हेतु अिधनियम।

भारत के गणराज् य के उनचासवें वषर् में मध् यूदेश िवधान-मंडल द्वारा िनम् निलिखत रूप से यहअिधनियिमत हो :

1. संिक्षप् त नाम, िवः तार तथा ूारम् भ

(1) इस अिधनियम का संिक्षप् त नाम 'मध् यूदेश आिदम जनजाितयों का संरक्षण (वृक्षों में िहत)अिधनियम,
(2) 1999' है।
(3) यह ऐसी तारीख को ूवृत् त होगा िजसे राज् य सरकार, अिधसूचना द्वारा, िनयत करें।
इसका िवः तार सम् पूणर् मध् यूदेश पर है।

2. पिरभाषाएँ - इस अिधनियम में, जब तक संदभर् से अन् यथा अपेिक्षत न हो,

(क) "आिदम जनजाित" से अिभूेत है वे जनजाितयाँ जो राज् य सरकार द्वारा मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 65 की उपधारा (6) के अधीन आिदम जनजाितके रूप में घोिषत की गई हों और उसके अन् तगर्त भारत के संिवधान के अनुच् छेद 342 के अधीन मध् यूदेश राज् य के संबंध में उस रूप में िविनिदर्ष् ट "अनुसूिचत जनजाितयाँ" आती हैं;
(ख) "संिहता" से अिभूेत है मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959);
(ग) "कलेक् टर" से अिभूेत है संबंिधत िजले का कलेक् टर तथा उसके अन् तगर्त ऐसे िजले का अपर कलेक् टर भी आता है िजसे राज् य सरकार द्वारा अिधसूचना द्वारा, इस अिधनियम के अधीन कलेक् टर की शिक्तयों का ूयोग करने तथा कृत् यों का पालन करने के िलए िवशेष रूप से सशक् तिकया गया हो;
(घ) "खाता" से अिभूेत है भूिम का टुकड़ा िजसका भू-राजः व के िलए पृथक् से िनधार्रण िकया गया है तथा जो िकसी आिदम जनजाित के भूिमः वामी द्वारा धािरत है;
(e) "िविनिदर्ष् ट वृक्ष" से अिभूेत है अनुसूची में िविनिदर्ष् ट वृक्षों की ूजाितयाँ;
(च) अिभव् यिक्त "भूिमः वामी" का वही अथर् होगा जो उसके िलये संिहता में िदया गया है।

3. आिदम जनजाित के भूिमः वामी हम के उसके खाते पर खड़े िविनिदर्ष् ट वृक्षों में िहत का संरक्षण -

(1) ऐसा भूिम ः वामी, जो आिदम जनजाित का हो, के खाते पर खड़े हुए िविनिदर्ष् ट जाित के कोईभी वृक्ष
(2) इसमें इसके पँ चात् उपबंिधत के िसवाय काटे नहीं जायेंगे, उनका पिरतक्षण नहीं िकयाजाएगा या इस अिधनियम के ूारम् भ होने के पँ चात् या उसके पूवर् आिदम जनजाित के वतर्मान भूिमः वामी द्वारा या उसके पूवर्वतीर् द्वारा, उसके खाते में के िविनिदर्ष् ट वृक्षों की लकड़ी के िवबय केिलए की गई कोई संिवदा, चाहे वह कैसी भी हो, शून् य होगी, िजसमें उसकी उस भूिम, िजस परऐसे वृक्ष खड़े हुए हों, सिहत या उसके िबना की, दोनों ही संिवदाएँ सिम्मिलत हैं।

---

1. म. ू. राजपऽ (असाधारण) िदनांक 24.4.99 पृं ठ 565-566 पर ूकािशत।

4. िविनिदर्ष् ट वृक्षों को काटने की अनुज्ञा

(1) आिदम जनजाित का कोई भूिम ः वामी, जो अपने खाते पर खड़े हुए िकसी िविनिदर्ष् ट वृक्ष कोकाटने का आशय रखता है, कलेक् टर को, िविहत ूारूप में, उसके िलये पूरे और संपूणर् कारणों कोदेते हुए, ऐसी रीित में, जैसी िक िविहत की जाए, अनुज्ञा के िलए आवेदन करेगा।

(2) कलेक् टर, ऐसे िनयमों के अनुसार जो िविहत िकए जाएँ, आवेदन की जाँच करवाएगा उस क्षेऽ
(3) परअिधकािरता रखने वाले तहसीलदार, उपखण् ड अिधकारी (राजः व) तथा ूभागीय अिधकारी कीिरपोटर् पर िवचार िकए िबना, आवेदन को मंजूर या नामंजूर नहीं करेगा :
परन् तु ऐसी कोई अनुज्ञा, उस दशा में, उत्तरािधकारी के िसवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहाँ िकसीभी रीित में, हक के अजर्न की तारीख के पँ चात् , पांच वषर् की कालाविध व् यतीत नहीं हो गईyes.
ः पं टीकरण - संिहता के अधीन हक के अजर्न की तारीख नामांतरण के ूमाणीकरण की तारीखहोंगी।
िकसी एक वषर् में, वृक्ष काटने की अनुज्ञा िविनिदर्ष् ट वृक्षों, की उतनी संख् या तक ही सीिमत होगी

िजससे भूिमः वामी, धन के रूप में ऐसी रकम ूाप् त कर सके जो िकसी एक वषर् में पचास हजाररुपये से अिधक न हो या जैसा िक कलेक् टर द्वारा आवेदन में िविनिदर्ं ट िकए गए ूयोजन कोपूरा करने के िलए पयार्प् त समझा जाए :
परन् तु िवशेष पिरिःथितयों के अधीन कलेक् टर, सम् यक् िवचार करने के पँ चात् िकसी एक वषर् मेंएक लाख रुपये से अनिधक मूल् य या एक वृक्ष के िलए इनमें से जो भी उच् चतर हो अनुज्ञा देसकेगा।

5. वृक्ष काटना, तथा िविनिदर्ं ट वृक्षों का िवबय मूल् यांकन

(1) ऐसे िविनिदर्ं ट वृक्षों का, िजनका काटा जाना अनुज्ञात िकया गया है, मूल् यांकन ूभागीय वनअधिकारी
(2) द्वारा, ऐसी रीित में जैसी िक िविहत की जाये, तैयार की गई िरपोटर् पर आधािरत होगा।कलेक् टर, धारा 4 के अधीन ूदत् त अनुज्ञा की एक ूित ूभागीय वन अिधकारी को पृं ठांिकतकरेगा। जो वृक्षों की कटाई करने, थप् पी लगाने, उनके पिरवहन तथा िवबय के िलये उत् तरदायीहोगा, और उनका ूितफल भूिमः वामी तथा कलेक् टर के संयुक् त खाते में िविहत रीित में िवूेिषतWill do.

6. भूिमः वामी को ूितफल का भुगतान -

(1) भूिमः वामी को देय ूितफल की रकम रां शीकृत बैंक की िकसी शाखा में या िजले के केन्
(2) िीयसहकारी बैंक में, कलेक् टर तथा भूिमः वामी के संयुक् त खाते में िनिक्षप् त की जाएगी, िजसका ूचालन उनके दोनों के द्वारा संयुक् त रूप से िकया जाएगा।
कलेक् टर, संयुक् त खाते में आहरण करने में यह सुिनिश्चत करते हुए सवार्िधक सावधानी तथासतकर्ता बरतेगा िक आहरण भूिमः वामी के सवोर्त् तम िहत में और उसकी वाः तिवक तथा असलीआवँ यकता को पूरा करने के ूयोजन के िलये ही िकया जाए।

7. ूिबया - धारा 9 के अधीन की कायर्वािहयों से िभन् न इस अिधिनयम के अधीन कायर्वािहयों केसंबंध में यह समझा जायेगा िक समः त ूयोजन के िलये वह संिहता के अधीन कायर्वािहयाँ है और संिहता मेंअिधकिथत ूिबया का अनुसरण िकया जाएगा।

8. अपील, पुनरीक्षण, पुनिवर्लोकन - अपील, पुनरीक्षण तथा पुनिवर्लोकन के उपबंध, जैसे िक वे संिहतामें िविहत िकए गए हैं, कलेक् टर द्वारा इस अिधिनयम के अधीन पािरत िकए गए िकसी आदेश को भी लागू होंगे।

9. उल् लंघन के िलये दंड -

(1) इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयमों व उपबंधों के उल् लंघन में कोई व् यिक्त जोआदम
(2) जनजाितयों के खातों में खड़े हुए िविनिदर्ं ट िकन् हीं वृक्षों को काटता है, उनका पिरतक्षणकरता है, उनमें कांट-छांट करता है या उनको अन् यथा नुकसान पहँचाता है या उनके िकसी भागको हटाता है तो दोिषसिद्ध होने पर ऐसे कठोर कारावास का जो तीन वषर् तक का हो सकेगा औरऐसे जुमार्ने का, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।
उपधारा (1) के अधीन कारर्वाई करने का आधार गिठत करने वाले िकन् हीं िविनिदर्ं ट वृक्षों कीलकड़ी का अिभमहण कर िलया जायेगा और वह राज् य सरकार को राजसात हो जाएगी। परन् तुयिद भूिमः वामी के ूित कोई षड़यंऽ, कपट और छल िकया जाता है तो इस ूकार राजसात

(3) लकड़ी के िवबय आगम उस आपरािधक मामले के िनपटारे के पँ चात् कलेक् टर के आदेश केअधीन
(4) पचास हजार रुपये की अिधकतम सीमा के अध् यधीन रहते हुए पचास ूितशत तक कीसीमा तक भूिमः वामी को िदये जायेंगे।
कोई सरकारी सेवक या कोई अन् य व् यिक्त, जो इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गएिनयमों के िकन् हीं उपबंधों के उल् लंघन में असद्भावनापूवर्क आशय से कायर् करता हैं या सम् यक्सावधानी के िबना िनयमों में यथा उपबंिधत कोई आदेश पािरत करता है या कोई अः तय िरपोटर् ूः तुत करता है, िविध के अिभव् यक् त उपबंधों का उल् लंघन करता है, तो वह दो िषसिद्ध पर ऐसेकठोर कारावास से जो तीन वषर् तक का हो सकेगा और ऐसे जुमार्ने से जो दस हजार रुपये तकका हो सकेगा, दण् डनीय होगा।
उपधारा (3) के अधीन कायर्वािहयों या दंड पर ूितकूल ूभाव डाले िबना, उक् त सरकारी सेवक,उसको लागू सेवा िनयमों के अधीन अनुशासिनक कारर्वाई के िलये भी दाियत् वाधीन होगा।

10. अपराध संज्ञेय होंगे - धारा 9 के अधीन समः त अपराध संज्ञेय होंगे।

11. िनयम बनाने की शिक्त -

(1) राज् य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कायार्िन्वत करने के िलये, अधसूचना द्वारा, िनयमबना
(2) सकेगी।
इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समः त िनयम िवधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

12. िनरसन तथा व् याÁित्त- मध् यूदेश ूोटेक् शन ऑफ एबओिरजनल शायब् स (इन् शेः ट इन शीज) एक् ट,1959 (बमांक 11 सन् 1956) इस अधिनियम के ूारम् भ होने से िनरिसत हो जाएगा :

परन् तु िनरिसत अधिनियम या िनयमों के अधीन की गयी कोई कारर्वाई, जारी की गयी कोईअधसूचना, ूः तुत की गयी कोई िरपोटर् या पािरत िकए गए िकसी आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा िकवह इस अधिनियम के अधीन, यथािःथित, की गई है, ूःतुत की गई है या पािरत की गई/गया है।

Schedule

(धारा 2 (ङ) देिखये)

िविनिदर्ं ट जाित के वृक्षों की सूची

1. सागवान (टेक् टोना मेंिडस)
2. बीजा (अेरोकारपस मारसूिपयम)
3. शीशम (डलबिजर्या लैिटफोिलया)
4. साल (शोिरया रोबः टा)
5. ितन् सा (आंउजीिनया ऊजैनैिन्सस)
6. साजा (टिमर्नेिलया टोमेन् टोसा)
7. महुआ (मधुका इंिडका)
8. िभरार् (क् लोरोक् जीलान ः वीटीिनया)
9. करंज (पोंगािमया ग् लेबरा)
10. तेन् दू (डाययोः पायरस मेलानॉक् सलॉन)
11. लेिन्डया (लेगर ः शोिमया पावीफ्लोरा)
12. धावड़ा (एनोगाइसस लेटीफोिलया)
13. खैर (अकोिसया केटेचू)
14. खमार (मेलाइना आरबोिरया)
15. चन् दन (सेंटलम अल् बम)
16. हल् दू (एडाईना कािडर्फोिलया)
17. आम (मेंजीफेरा-इंिडका)
18. जामुन (यूजीिनया-यूजेिनिन्सस)
19. इमली (टेमेिरंडस इंिडका)
20. अजुर्न (टिमर्नेिलया अजुर्ना)